

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 08-10-2020

अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन एवं श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 07-10-2020 को पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही।

दिनांक 07-10-2020 को जनपद सिद्धार्थनगर के सभी थाना क्षेत्रों में वाहन /अवैध शराब/ संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया। जिसके अन्तर्गत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष द्वारा एम0वी0 एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये 95 वाहनों से 89,500/ रु0 समन शुल्क वसूल किया गया।

01- थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त श्यामू पुत्र डुनमुन सा0 कटहा थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 01 अदद चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 313/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

02- थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त राम सूरत पुत्र रामलाल सा0 दोरहरा लाल थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 5 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 132/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

03- थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त दशरथ साहनी पुत्र सुन्दर सा0 भजोलीडीहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 215/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

04- थाना उसका जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त रामसजन पुत्र दयाराम सा0 केवटलिया थाना उसका जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 196/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

05- थाना जोगिया जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त बहोरी पुत्र धनई सा0 तनजवा थाना जोगिया जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 130/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

06- थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त विकास पाल पुत्र राम बहादुर सा0 बनमेड़नी थाना पथरा जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 16 शीशी देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 99/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

02

प्रेस नोट दिनांक 08-10-2020

क्षेत्राधिकारी महोदय डुमरियागंज के कुशल निर्देशन व थानाध्यक्ष थाना पथरा बाजार के नेतृत्व में आज दिनांक 08.10.2020 को मछली मारने की बात को लेकर कहासुनी करने वाले व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा 151/107/116 सीआरपीसी के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

03

प्रेस नोट दिनांक 08-10-2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही-

आज दिनांक 08.10.2020 को प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ रामअशीष यादव के निर्देशन में मु.अ.सं. 258 /2020 धारा 376 भा.द.वि. ¾ पोस्को एक्ट व 3(2)V, 3(1)W(i) एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त विजय उर्फ गिड्डू पुत्र पुजारी चौधरी निवासी नकाही थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर को उ.नि. अजयनाथ कन्नौजिया मय टीम के द्वारा मुखबीर की सूचना पर समय करीब 11.40 बजे टैक्सी स्टैण्ड शोहरतगढ़ के पास से गिरफ्तार किया गया। थाना स्थानीय से आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

01- विजय उर्फ गिड्डा पुत्र पुजारी चौधरी निवासी नकाही थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली टीम

01- उ0नि0 श्री अजयनाथ कन्नौजिया थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

02- का. दीनानाथ थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 08-10-2020

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना भवानीगंज के नेतृत्व में आज दिनांक 08.10.2020 को उपनिरीक्षक उ0नि0 श्री कृपाराम जयसवाल मय उ0नि0 श्री महेन्द्र यादव व का0 सतीश मौर्या के द्वारा शांति भंग व संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के लिए 02 अभियुक्तों को धारा 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

05

प्रेस नोट दिनांक 08-10-2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण व श्री उमेश शर्मा, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल निर्देशन व श्री कृष्णदेव सिंह, प्रभारी निरीक्षक डुमरियागंज के नेतृत्व में आज दिनांक 08.10.2020 को 03 अभियुक्तों को 15 किलोग्राम पशु-मांस के साथ गिरफ्तार किया गया, गोमांस के संदेह में अभियोग पंजीकृत कर मांस-बिसरा परीक्षण हेतु विधि-विज्ञान प्रयोगशाला मथुरा भेजा गया। अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद मोटर साईकिल जिसमें फर्जी नंबर प्लेट लगाया गया था, नंबर प्लेट को भी बरामद किया गया, जिसका अलग से थाना डुमरियागंज पर मु0अ0सं0 202/2020 धारा 207 MVAAct पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. इमरान पुत्र अब्बास सा0 बेंवा मुस्तफा थाना – डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर
2. मोहम्मद आजम पुत्र जान मोहम्मद सा0 कादिराबाद थाना – डुमरियागंज जनपद-सिद्धार्थनगर
3. मोहम्मद आलम पुत्र जान मोहम्मद सा0 कादिराबाद थाना डुमरियागंज जनपद- सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.-उ0नि0 श्री पारसनाथ सिंह,थाना- डुमरियागंज जनपद- सिद्धार्थनगर।
- 2.-HC इन्द्रेश यादव,थाना- डुमरियागंज जनपद- सिद्धार्थनगर।
- 3.-का0 जय प्रकाश पासवान,थाना- डुमरियागंज जनपद- सिद्धार्थनगर।
- 4.-का0 अवध बिहारी सिंह,थाना- डुमरियागंज जनपद- सिद्धार्थनगर।
- 5-का0 दिनेश यादव, थाना- डुमरियागंज जनपद- सिद्धार्थनगर।

06

प्रेस नोट दिनांक 08-10-2020

श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, थानाध्यक्ष थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 08.10.2020 को शान्ति-व्यवस्था कायम रखने व संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के दृष्टिगत 02 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही की गयी।

07

प्रेस नोट दिनांक 08-10-2020

श्री सभाशंकर यादव,थानाध्यक्ष थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में चिल्हिया पुलिस द्वारा आज दिनांक 08.10.2020 को शान्ति-व्यवस्था कायम रखने व संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के दृष्टिगत 03 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही की गयी।

08

प्रेस नोट दिनांक 08-10-2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में "अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान" के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री राजेश कुमार तिवारी, क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल निर्देशन आज दिनांक 08-10-2020 को श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, थानाध्यक्ष थाना जोगिया उदयपुर, के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 117/20 धारा 379/411 भादवि0, 2/3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि0, 4/21 खनन अधि0 व 194/207 एमवी0 एक्ट में वाछित चल रहे अभि0 मो0 मुस्तकीम सा0 मुगलपुर थाना उंचाहार जनपद रायबरेली को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

01-मो0 मुस्तकीम सा0 मुगलपुर थाना उंचाहार जनपद रायबरेली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01-श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, थानाध्यक्ष थाना जोगिया उदयपुर, जनपद सिद्धार्थनगर।

02-उ0नि0 श्री शंकर जायसवाल, थाना जोगिया उदयपुर, जनपद सिद्धार्थनगर।

03-आरक्षी अजीत यादव थाना जोगिया उदयपुर, जनपद सिद्धार्थनगर।

09

प्रेस नोट दिनांक 08-10-2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री राजेश कुमार तिवारी क्षेत्राधिकारी बांसी के निर्देशन तथा शैलेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक बांसी के नेतृत्व में आज दिनांक 08.10.2020 को उपनिरीक्षक श्री शेषनाथ यादव व उपनिरीक्षक श्री जीवन त्रिपाठी मय हमराह के द्वारा शांति भंग व संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के लिए 05 अभियुक्तों को धारा 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

10

प्रेस नोट दिनांक 08-10-2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री राजेश कुमार तिवारी क्षेत्राधिकारी बांसी के निर्देशन तथा शैलेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक बांसी के नेतृत्व में आज दिनांक 08.10.2020 को उपनिरीक्षक श्री जीवन त्रिपाठी मय हमराह के द्वारा थाना कोतवाली बांसी के बाहर रोड पर नशे की हालत में न्यूशन्स कर रहे व राहगीरों पर आमदा फौजदारी हो रहे कृष्ण गोपाल पुत्र रविदत्त निवासी ग्राम नचनी थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर को शांति व्यवस्था के दृष्टिगत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर 14 दिवस रिमांड पर जेल भेजा गया।

प्रेस नोट दिनांक 08-10-2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर ने थाना उसका बाजार व थाना जोगिया उदयपुर का औचक निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश एवं थाना उसका बाजार पर आगामी त्यौहार सकुशल सम्पन्न कराने हेतु पीस कमेटी की गोष्ठी की गयी ।

आज दिनांक 08-10-2020 को श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा का थाना उसका बाजार व थाना जोगिया उदयपुर औचक निरीक्षण कर प्रभारी निरीक्षक उसका बाजार एवं थानाध्यक्ष जोगिया उदयपुर को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये । निरीक्षण के पश्चात महोदय द्वारा थाना उसका बाजार व थाना जोगिया उदयपुर में नियुक्त समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण की समस्या एवं कुशलक्षेम से अवगत हुये, महोदय द्वारा समस्त पुलिसकर्मियों को सजगता, सतर्कता एवं समर्पण भाव से ड्यूटी करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये । महोदय द्वारा थाने के विभिन्न अभिलेखों/रजिस्ट्रों का निरीक्षण गहनता से किया गया एवं अपूर्ण अभिलेखों/रजिस्ट्रों को पूर्ण करने हेतु प्रभारी निरीक्षक एवं थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया । तत्पश्चात महोदय द्वारा "आगामी त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने" के दृष्टिगत थाना उसका बाजार पर थाना क्षेत्र के सभी संभ्रांत/एस-10 के सदस्यों, ग्राम प्रहरियों की मीटिंग की गई तथा सभी ग्राम प्रहरियों से उनके दायित्वों/कर्तव्यों से अवगत कराया गया । आगामी त्यौहारों दुर्गा पूजा को "माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अपने अपने घरों में मनाए जाने" के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश से थाना क्षेत्र के संभ्रांत/एस-10 के सदस्यों को अवगत कराया गया तथा किसी तरह की समस्या होने पर तत्काल पुलिस को अवगत कराने हेतु कहा गया ।

